

प्रेस नोट संख्या- 12

दिनांक 12.10.2025

सराहनीय कार्य थाना मोहनगंज

अवैध पटाखा निर्माण एवं बिक्री करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 कि०ग्रा० बारूद व भारी मात्रा में अवैध पटाखे (अनुमानित कीमत 1,50,000/- रुपये) बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में, क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में आगामी त्यौहार दीपावली के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोहनगंज पुलिस देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग हेतु क्षेत्र में मौजूद थी तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शंकरगंज में तालाब के पास कुछ लोग पटाखों का भण्डारण किये हुए हैं तथा निर्माण करके बेचते भी हैं । उक्त सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर अवैध रूप से पटाखा निर्माण कर रहे व भण्डारण किये हुए 05 अभियुक्तों 1. निजामुद्दीन पुत्र स्व० मो० इस्माइल उम्र 50 वर्ष, 2. असगर अली पुत्र मो० अकबर उम्र 32 वर्ष, 3. सद्दाम पुत्र मो० अकबर उम्र 26 वर्ष, 4. मो० इरफान पुत्र अकबर उम्र 23 वर्ष, 5. राजा पुत्र समुद्दीन उम्र 22 वर्ष निवासी गण ग्राम शंकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को 30 कि०ग्रा० बारूद, 1500 सुतली बम, 250 अर्धनिर्मित सुतली बम, 3000 अनार पटाखा, 2000 मस्ताभ, 1000 अर्धनिर्मित मस्ताभ, 1500 बाती पटाखा, 03 बंडल सुतली धागा, 02 बोरी रद्दी पेपर, 01 बंडल स्टीकर, 01 पटाखा चटाई, 500 पीस चटाई बम, 10 कि०ग्रा० कोयला, 05 कि०ग्रा० गंधक व पटाखा निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया । पटाखा निर्माण व बिक्री करने का लाइसेंस मांगने पर दिखा न सके । थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता—

1. निजामुद्दीन पुत्र स्व० मो० इस्माइल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम शंकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
2. असगर अली पुत्र मो० अकबर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम शंकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
3. सद्दाम पुत्र मो० अकबर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम शंकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

4. मो० इरफान पुत्र अकबर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम शंकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
5. राजा पुत्र समुद्धीन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम शंकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- 30 कि०ग्राम बारूद, 1500 सुतली बम, 250 अर्धनिर्मित सुतली बम, 3000 अनार पटाखा, 2000 मस्ताभ, 1000 अर्धनिर्मित मस्ताभ, 1500 बाती पटाखा, 03 बंडल सुतली धागा, 02 बोरी रद्दी पेपर, 01 बंडल स्टीकर, 01 पटाखा चटाई, 500 बीस चटाई बम, 10 कि०ग्राम कोयला, 05 कि०ग्राम गंधक, पटाखा निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 285/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि०, 5/9B विस्फोटक पदार्थ अधि० व 288, 125 बीएनएस थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राकेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० सुरेश कुमार दीक्षित थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
4. हे०का० रूपेश मौर्या थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
5. हे०का० अरविन्द प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
6. म०हे०का० सुरेखा देवी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
7. का० रोहित सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
8. म०का० हरप्रीत कौर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
9. का० सुरेन्द्र पाल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
10. का० मनीष पाण्डेय थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
11. का० अरुण यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
12. का० अर्जुन कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
13. का० विजयकेश यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
14. का० सुनील कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
15. का० शिवम पाल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
16. का० पवन पाल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
17. का० शिवम राठौर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।